“राजस्थान फिनिशिंग स्कूल कार्यक्रम”

(Rajasthan Finishing School Program)

विद्यार्थियों को मिलेगा उद्योग आधारित प्रशिक्षण, सीमित सीटों पर प्रवेश

दिनांक: 07.03.2025

PROGRAM BREIF

चूरू। राजस्थान सरकार के उच्च शिक्षा विभाग द्वारा युवाओं की रोजगार क्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से **“राजस्थान फिनिशिंग स्कूल कार्यक्रम” (Rajasthan Finishing School Program)** प्रारंभ किया गया है। इस योजना के अंतर्गत राज्य के विभिन्न सरकारी महाविद्यालयों में उद्योग आधारित कौशल प्रशिक्षण तथा कॉर्पोरेट प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम संचालित किए जाएंगे। इसी क्रम में **राजकीय लोहिया महाविद्यालय, चूरू** को भी इस कार्यक्रम के लिए चयनित किया गया है।

इस कार्यक्रम के माध्यम से कॉलेज के **स्नातक (UG) एवं स्नातकोत्तर (PG) के अंतिम वर्ष के विद्यार्थियों तथा पास-आउट विद्यार्थियों** को उद्योगों की मांग के अनुरूप व्यावहारिक प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। इससे विद्यार्थियों की रोजगार क्षमता में वृद्धि होगी तथा उन्हें निजी क्षेत्र में बेहतर अवसर प्राप्त होंगे।

राजस्थान फिनिशिंग स्कूल कार्यक्रम के अंतर्गत राजकीय लोहिया महाविद्यालय, चूरू में दो प्रमुख क्षेत्रों में प्रशिक्षण दिया जाएगा। इनमें **अपैरल सेक्टर (Apparel Sector)** के अंतर्गत *Sewing Machine Operator* तथा **लॉजिस्टिक्स सेक्टर (Logistics Sector)** के अंतर्गत *Supply Chain Executive (Sustainability)* पाठ्यक्रम संचालित किए जाएंगे। अपैरल सेक्टर का प्रशिक्षण **Eduguru India Pvt. Ltd.** द्वारा तथा लॉजिस्टिक्स सेक्टर का प्रशिक्षण **Safeducate Learning Pvt. Ltd.** द्वारा दिया जाएगा।

दोनों पाठ्यक्रमों में **चार-चार बैच संचालित किए जाएंगे तथा प्रत्येक बैच में अधिकतम 30 विद्यार्थी होंगे।** इस प्रकार प्रत्येक कोर्स में कुल **120 विद्यार्थियों को प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा।** प्रशिक्षण महाविद्यालय परिसर में ही आयोजित किया जाएगा।

रियायती प्रशिक्षण शुल्क

इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए प्रवेश के समय **प्रशिक्षण शुल्क जमा करना आवश्यक होगा**, जो नॉन-रिफंडेबल होगा। राजस्थान सरकार द्वारा **आरक्षित वर्गों एवं छात्राओं के लिए शुल्क में विशेष छूट** प्रदान की गई है।

इन दोनों कोर्सेज में राजकीय महाविद्यालयों के पूर्व विद्यार्थी भी भाग ले सकते हैं। इसके अतिरिक्त गैर-राजकीय महाविद्यालयों के विद्यार्थी भी आवेदन कर सकते हैं, हालांकि उनके लिए शुल्क संरचना अलग होगी। राजकीय महाविद्यालयों के विद्यार्थियों के लिए **सामान्य वर्ग** को कुल **प्रशिक्षण शुल्क का 20 प्रतिशत** तथा **आरक्षित वर्ग एवं महिलाओं को 10 प्रतिशत शुल्क** देना होगा। वहीं **गैर-राजकीय महाविद्यालयों के विद्यार्थियों** के लिए **सामान्य वर्ग को कुल शुल्क का 50 प्रतिशत** तथा **आरक्षित वर्ग एवं महिलाओं को 25 प्रतिशत शुल्क** देना होगा।

प्लेसमेंट की बेहतर संभावनाएं

इस कार्यक्रम की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि **प्रशिक्षण भागीदार संस्थाओं के लिए कम से कम 70 प्रतिशत प्रशिक्षित विद्यार्थियों के प्लेसमेंट को सुनिश्चित करना अनिवार्य किया गया है।** प्रशिक्षण पूरी तरह **ऑफलाइन मोड** में होगा, जिसमें विशेषज्ञों के साथ संवाद, प्रायोगिक प्रशिक्षण तथा **इंडस्ट्री विजिट** भी शामिल होंगे।

360-डिग्री स्किलिंग मॉडल

यह प्रशिक्षण कार्यक्रम एक विशेष **कौशल आधारित मॉडल (Curriculum)** पर आधारित है, जिसमें विद्यार्थियों को बहुआयामी प्रशिक्षण दिया जाएगा:

- **70 प्रतिशत कोर डोमेन स्किल्स** – संबंधित क्षेत्र (Apparel / Logistics) का तकनीकी प्रशिक्षण
- **20 प्रतिशत डिजिटल स्किल्स** – MS Office, AI (Artificial Intelligence) के मूल सिद्धांत, साइबर सुरक्षा एवं क्लाउड टूल्स
- **10 प्रतिशत सॉफ्ट स्किल्स** – इंटरव्यू तैयारी, प्रभावी संचार एवं व्यक्तित्व विकास

पात्रता एवं आवेदन प्रक्रिया

यह प्रशिक्षण विशेष रूप से **स्नातक (UG) एवं स्नातकोत्तर (PG) के अंतिम वर्ष के विद्यार्थियों तथा पास-आउट छात्रों** के लिए उपयोगी रहेगा। प्रशिक्षण के दौरान विद्यार्थियों को उद्योगों की कार्य प्रणाली, व्यावसायिक कौशल तथा कॉर्पोरेट प्रमाणपत्र प्रदान किए जाएंगे।

इन पाठ्यक्रमों में सीटें सीमित हैं, इसलिए प्रवेश **मेरिट तथा "पहले आओ–पहले पाओ" (First Come First Serve)** के आधार पर दिया जाएगा। इच्छुक विद्यार्थी अधिक जानकारी एवं पंजीकरण के लिए **नोडल अधिकारी डॉ. एम. एम. शेख से संपर्क कर सकते हैं।**